रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062026-273046
CG-DL-E-01062026-273046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]	**नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948**
No. 382]	**NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISTHA 11, 1948**

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 424(अ).— केन्द्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आप्रवास और विदेशियों विषयक (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 12 में,-

(क) उपनियम (1) में,-

(i) तीसरे परंतुक में, "भारत में अपने आगमन के एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति के बाद चौदह दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराना होगा" शब्दों के स्थान पर "भारत में अपने आगमन के एक सौ अस्सी दिन की उक्त अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण कराना होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) चौथे परंतुक में, अंत में निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

",किंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण केवल आपातकाल परिस्थितियों में ही अनुदत्त किया जाएगा" ;

(ख) उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु की यह उपनियम उन दशाओं में लागू नहीं होगा जिनमें माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तथा ऐसा माता या पिता नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 3 के अधीन बच्चे की भारतीय नागरिकता रखने की इच्छा रखता है:

परंतु यह और कि यदि बच्चा बाद में भारत में रहते हुए विदेश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो माता-पिता में से कोई भी बच्चे द्वारा विदेशी नागरिकता अर्जित करने के तीस दिन के भीतर इस स्थिति के बारे में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचित करेगा ।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 18 के, उपनियम (6) में "किंतु चौबीस घंटे के अपश्चात्" शब्दों के स्थान पर "किंतु चौबीस घंटे के अपश्चात् नहीं" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 21 में, उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(5) सिविल प्राधिकारी द्वारा दिए गए निदेश द्वारा व्यथित किसी स्वामी या रखवाला द्वारा अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे निदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त, आप्रवास ब्यूरो को, नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट अभिहित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक पद्धति में अपील की जाएगी ।

(6) उपनियम (5) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, आयुक्त, आप्रवास ब्यूरो पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् तर्कबद्ध आदेश पारित करेगा तथा अपील की प्राप्ति की तारीख से सामान्यत: साठ दिन के भीतर कार्यवाहियां पूर्ण करने का प्रयास करेगा । "।

[फा. सं. 25022/03/2025-एफ.I]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 596 (अ), तारीख 1 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित हुए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 424(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Immigration and Foreigners Rules, 2025, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Immigration and Foreigners (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Immigration and Foreigners Rules, 2025 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12, —

(a) in sub-rule (1), —

(i) in the third proviso, for the words "within fourteen days after the expiry of one hundred and eighty days of his arrival in India", the words "any time before the expiry of the said period of one hundred and eighty days" shall be substituted;

(ii) in the fourth proviso, the following words shall be inserted at the end, namely:—

",but such registration shall be granted only in emergent circumstances";

(b) in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided that this sub-rule shall not apply in cases wherein either of the parent is an Indian citizen and such parent wishes to retain the Indian citizenship of the child under section 3 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955):

Provided further that if the child acquires citizenship of a foreign country while in India at a later stage, either of the parents shall intimate the position to the Registration Officer within thirty days of acquiring the citizenship of the foreign country by the child.".

3. In the said rules, in rule 18, in sub-rule (6), for the words "but beyond twenty-four hours", the words "but not beyond twenty-four hours" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 21, for sub-rule (5), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(5) An appeal under sub-section (3) of section 14 of the Act by any owner or keeper aggrieved by the direction given by the civil authority shall be made to the Commissioner, Bureau of Immigration within thirty days from the date of such direction, in electronic mode through the designated online portal as referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 12.

(6) On receipt of the appeal under sub-rule (5), the Commissioner, Bureau of Immigration, after giving the party a reasonable opportunity of being heard, shall pass a reasoned order and endeavor to complete the proceedings ordinarily within sixty days from the date of receipt of the appeal.".

[F. No. 25022/03/2025-F.I]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 596(E), dated the 1st September, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.01 22:05:11 +05'30'